न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर–१, फतेहपुर।

<u>आदेश</u>

<u>१६.०१.२०१९</u>

अभियुक्त दीपक पाल की ओर से गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र ४६ब प्रस्तुत किया गया है तथा कथन किया गया कि वह बुखार से पीड़ित होने के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गया था, जिस कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं आ सका और उसके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० हो गया है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० रिकाल करने की कृपा की जाये।

सुना। आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ४६ब स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पचास हजार रूपये का निजी मुचलका दाखिल करने पर उसके विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित होता रहेगा।

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
फास्ट ट्रैक कोर्ट नम्बर–१, फतेहपुर।